न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0—— 270/2016
प्रविष्टि दिनांक —— 04.08.2016
निर्णय दिनांक —— 19.02.2020

उनवान

1. हरिनारायण पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
2. सन्तोष बैरवा राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
4. मु0 सीमा बैरवा रोशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
5. मु. शान्ति पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. केदार पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
2. सीताराम पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
3. रामप्रसाद पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
4. मु. रतनी बेवा घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
5. मु. फोरनती पत्नि केदार जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री बरदराज जाट — वकील वादीगण
श्री महावीर वैष्णव — वकील प्रतिवादीण

वादपत्र बाबत— स्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

संक्षेप्त में वादपत्र वादी इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 106 रकबा 1 बिस्वा कुल किता—2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा पटवार हल्का डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि है। प्रतिवादीगण, वादीगण की उपरोक्त भूमि व बाडे के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है जिसे करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायीनिषेधाज्ञा प्रदान की जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जावे कि वह स्वंय, जरियेऐजेन्ट नोकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 96 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 106 रकबा 1 बिस्वा गैरमुमकीन बाडा कुल किता—2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा पटवार हल्का डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाले ओर न करावें, ओर पाबन्द रहें।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2069—2072 खाता संख्या—122 ग्राम उस्मानुपरा, खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 96 व 106 संवत 2069—72, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण जरिये वकील जवाब दावा पेश किया जिसका संक्षेप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण का वाद काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई मजाहमत व मदाखल नहीं की जा रही है ओर ना ही भविष्य में संभवना है। वादपत्र आर्थिक व मानसिक आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। वादीगण का उक्त वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाकर एक मिसाल के रूप में झूठी कार्यवाही किये जाने के लिये वादीगण को दण्डित किया जावे।

Scanned with CamScanner

उक्त वादपत्र एंव जवाब में अंकित तथ्यों के अनुसार वाद में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

तनकी संख्या–1

आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाझा से पाबन्द कराने का अधिकारी है ?

जिम्मे वादी

तनकी संख्या–2

आया प्रतिवादीगण वादीगण की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करते है इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त दावे को खारिज कराने के अधिकारी है ?

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी संख्या–1

आया वादी आराजी 96 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 106 रकबा 1 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा पटवार हल्का डारडाहिन्द पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाझा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। जिसके लिए वादी ने निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2069–2072 खाता संख्या–122 ग्राम उस्मानुपरा, खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 96 व 106 संवत 2069–72, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये एंव स्वंय के साथ–साथ एक स्वतन्त्र गवाह रामेश्वर के शपथ–पत्र पेश किये। जिन्होने वादी के वाद में अंकित तथ्यों की पुष्ठि की है। इस प्रकार उक्त तनकी वादी सिद्ध करने में सफल रहा है।

तनकी संख्या–2

आया प्रतिवादीगण वादीगण की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करते है इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त दावे को खारिज कराने के अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जिसके लिए प्रतिवादी ने कोई दस्तावेज, गवाह आदि पेश नही किये है। इस प्रकार प्रतिवादी अपनी उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहा है।

वकील उभय पक्ष की बहस एंव उक्त तनकीयात के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के हितों की रक्षार्थ डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाकर वादीगण की खातेदारी एंव कब्जेकाश्त वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा 96 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 106 रकबा 1 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा पटवार हल्का डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक (राज0) में वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायीनिषेधाझा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 5 को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे स्वंय, जरियेऐजेन्ट नोकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 106 रकबा 1 बिस्वा गैरमुमकीन बाडा कुल किता–2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा पटवार हल्का डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाले ओर न करावें, ओर हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

निर्णय आज **दिनांक** 19/2/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(रतनलाल योगी)

उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री रतनलाल योगी, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

1. हरिनारायण पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
2. सन्तोष बैरवा राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
4. मु0 सीमा बैरवा रोशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
5. मु. शान्ति पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. केदार पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
2. सीताराम पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
3. रामप्रसाद पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
4. मु. रतनी बेवा घासी जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक
5. मु. फोरनती पत्नि केदार जाति जाट निवासी ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील व जिला टोंक

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री बरदराज जाट — वकील वादीगण
श्री महावीर वैष्णव — वकील प्रतिवादीण

वाद पत्र बाबत— स्थायी निषेधाज्ञा

दावा नं0 270 / 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायीनिषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या—1 ता 5 को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे स्वंय, जरियेऐजेन्ट नोकर रिश्तेदार या अन्य किसी के माध्यम से वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 106 रकबा 1 बिस्वा गैरमुमकीन बाडा कुल किता—2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा पटवार हल्का डारडाहिन्द, तहसील व जिला टोंक में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप या बाधा नहीं डाले ओर न करावें, ओर हमेशा—हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19/02/2020 को जारी किया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोट:—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner